

बिहार गजट असाधारण अंक

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 पौष 1944 (श0) (सं0 पटना 1111) पटना, शुक्रवार, 30 दिसम्बर 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 30 दिसम्बर 2022

अधिसूचना संख्या 13/2022-राज्य कर (दर)

एस॰ ओ॰ 490 दिनांक 30 दिसम्बर 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12,2017) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में

(i) क्रमांक 102 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: - "जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड, पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास, घास और पुआल, पूरक और योजक,गेहूं की भूसी और डी ऑइल-केक[चावल की भूसी से भिन्न]";

(ii) क्रमांक 102ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
''102ग	2302,2309	चिल्का सहित दालों की
		भूसी, चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र"।

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2023 से लागू होगी।

[(सं॰सं॰- बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-14)-13)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ॰ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 दिसम्बर 2022

एस० ओ० 490 दिनांक 30 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—14) 13)] बिहार राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 30th December 2022

S.O. 490 Date 30 December 2022-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, -

- (i) against S. No. 102, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
 - "Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and additives, wheat bran and de-oiled cake [other than rice bran]";
- (ii) after S. No. 102B and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	
"102C	2302, 2309	Husk of pulses including Chilka, Concentrates	
		including chuni or churi, Khanda".	

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 13)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1111-571+10-डी0टी0पी0

Website: http://egazette.bih.nic.in